सेवा में

श्रीमान उप शिक्षा अधिकारी महोदय,

प्रारम्भिक शिक्षा

विकास क्षेत्र : खिर्सू

जिला : पौड़ी गढ़वाल

उत्तराखंड

विषय : विकास क्षेत्र में कार्यरत शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों के लंबित प्रकरणों के संबंध में ।

महोदय उपरोक्त विषयक आपसे विनम्र निवेदन है कि विकास क्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षिकाओं व शिक्षकों के संलग्न प्रकरणों का संज्ञान लेने व उनके यथाशीघ्र निस्तारण करवाने की महती कृपा करें ।

1 - श्रीमती प्रसन्ना डोभाल (सेवानिवृत्त, प्र० अ०, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगोरी) के वर्ष 2009 में वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि जिसको कि बाद में अक्टूबर 2016 में संशोधित किया गया । मगर संशोधन के उपरांत संबन्धित शिक्षिका को

वर्ष 2009 से अक्टूबर 2016 तक के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है जबकि उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को समस्त दस्तावेजों सहित चार बार महोदय की सेवा में प्रेषित किया जा चुका था । संबन्धित दस्तावेजों की छाया प्रति पुनः महोदय की सेवा में उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु सादर प्रेषित हैं ।

2 - सायरा बानो, प्र० अ०, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगोरी, के द्वारा दिनांक 04/07/2019 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगोरी में कार्यभार ग्रहण किया गया था । सायरा बानो जी के द्वारा दिनांक 10/07/2019 से 10/09/2019 तक हज़ यात्रा हेतु दो महीने का अवैतनिक अवकाश लिया गया था, हज़ यात्रा के पश्चात उनके द्वारा दिनांक 11/09/2019 को पुनः विद्यालय में नियमानुसार कार्यभार ले लिया गया था, परन्तु संबन्धित शिक्षिका का अभी तक दिनांक 01/07/2019 से 09/07/2019 तथा दिनांक 11/09/2019 से 30/09/2019 तक 29 दिनों का वेतन आहरित नहीं हो पाया है । अतः सूचना महोदय की सेवा में पुनः समस्त दस्तावेजों सहित सादर प्रेषित ।

3 - वर्ष 2006 से पूर्व चयन वेतनमान प्राप्त / पदोन्नति प्राप्त शिक्षिकाओं/शिक्षकों को वेतनमान 17140 का लाभ मिलने के उपरांत निर्धारित नोशनली तिथि से एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें विकास क्षेत्र की निम्नलिखित शिक्षिकाएँ सम्मिलित हैं |

(अ) - **श्रीमती रश्मि गौड़ (प्र० अ०, रा० आ० प्रा० वि० श्रीकोट गंगानाली)**

17140 वेतनमान से लाभान्वित होने की तिथि - जून 2019

(ब)- श्रीमती राजकुमारी रावत (स० अ०, रा० प्रा० वि० जामणाखाल)

17140 वेतनमान से लाभान्वित होने की तिथि - मार्च 2020

अतः सूचना समस्त प्रार्थना पत्रों सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित |

4 - कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) खिर्सू पौड़ी गढ़वाल की आदेश संख्या/ उ० शि० अ०/ 341/3क(2) / चयन वेतनमान / 2019-2020 दिनांक 04/03/2020 के अनुसार विकास क्षेत्र की निम्नलिखित शिक्षिकाओं व शिक्षकों का चयन वेतनमान स्वीकृत हुआ था | परन्तु पाँच माह के उपरान्त भी निम्नलिखित शिक्षिकाओं व शिक्षको का संबन्धित एरियर भुगतान विचाराधीन है | अतः चयन वेतनमान प्राप्त सभी शिक्षिकाओं व शिक्षकों की सूची सआदेश आप की सेवा में सादर प्रेषित है |

(क) - **श्री मुकेश लाल गौतम, प्र० अ०, रा० प्रा० वि० ढिक्वालगाँव |**

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 04/10/2018

(ख) - **श्रीमती आरती पुंडीर, प्र० अ०, रा० प्रा० वि० असिंगी |**

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 21/11/2019

(ग) - **श्रीमती पूनम काला, प्र० अ०, रा० प्रा० वि० गहड़ |**

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 20/11/2019

(घ) - **श्रीमती आरती थपलियाल, स० अ०, रा० आ० प्रा० वि० श्रीकोट गंगानाली |**

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 03/02/2019

(ङ.) - श्री अनिल कुमार भट्ट, स० अ०, रा० प्रा० वि० मरखोड़ा |

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 15/04/2016

(च)- श्री आनंद सिंह पँवार, स० अ०, रा० प्रा० वि० जोगड़ी |

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 03/03/2019

(छ) - श्री हेमंत कुमार मिश्रा, स० अ०, रा० प्रा० वि० चकवाली |

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 02/02/2019

(ज) - श्रीमती सरोजनी मेवाड़, स० अ०, रा० प्रा० वि० कटाखोली |

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 23/01/2020

(झ) - श्री संजय कठैत, स० अ०, रा० आ० प्रा० वि० श्रीकोट गंगानाली |

चयन वेतनमान स्वीकृति तिथि : 03/09/2019

5 - श्रीमती प्रेमलता पंत, स० अ०, रा० प्रा० वि० जलेथा के माह दिसम्बर 2019 में वेतन का निर्धारण 68000 मूल वेतन पर होना था जबकि उनका माह दिसम्बर के वेतन का निर्धारण 62,200 मूल वेतन पर किया गया | माह जनवरी 2020 से उनके वेतन का निर्धारण उचित व सही है, अतः संबन्धित शिक्षिका का माह दिसम्बर का एरियर भुगतान महोदय के कार्यालय में विचाराधीन है जिससे संबन्धित सभी दस्तावेज़ प्रार्थना पत्र सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित हैं |

6 - श्रीमती मीना बिष्ट, प्र० अ०, रा० प्रा० वि० श्रीकोट खंडाह का दिसम्बर 2014 में वेतन 17810 था संबन्धित अध्यापिका की वेतन वृद्धि जनवरी होने के फलस्वरूप जनवरी 2015 में उनका मूल

वेतन 18490 हो गया था लेकिन वेतन निर्धारण की त्रुटि बताकर फ़रवरी 2015 में उनका मूल वेतन पुनः 17810 कर दिया गया लेकिन पुनः वेतन समीक्षा उपरांत वेतन निर्धारण सही पाये जाने के उपरांत माह मार्च 2020 में संबन्धित अध्यापिका को वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त हो चुका है | इसी प्रकरण के कारण संबन्धित अध्यापिका को नए वेतनमान की बढ़ोतरी से भी वंचित रहना पड़ा | अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में रखते हुए श्रीमती मीना बिष्ट जी को फरवरी 2015 से काटी गयी वेतन वृद्धि के एरियर सहित नए वेतनमान की बढ़ोतरी की राशि का भुगतान करने की सादर कृपा कीजिएगा | प्रकरण से संबन्धित समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित |

7- महोदय विकास क्षेत्र में औपबंधिक सहायक अध्यापिका / अध्यापक के रूप में निम्न शिक्षिकाएँ व शिक्षक अपनी निष्ठापूर्ण सेवाएँ दे रहे हैं -

1- श्रीमती अरुणा चमोली स० अ०, रा० प्रा० वि० चोपड़ा |

2- श्रीमती रजनी रौतेला स० अ०, रा० प्रा० वि० मरोड़ा |

3- श्री कुलदीप पंत स० अ०, रा० प्रा० वि० रेवड़ी |

महोदय उपरोक्त तीनों शिक्षिकाओं/शिक्षक को अभी तक सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है जबकि पौड़ी जनपद के बाकी सभी विकास क्षेत्रों में एरियर की इस धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, अतः महोदय से आग्रह है कि विकास क्षेत्र की संबन्धित सभी औपबंधिक शिक्षिकाओं / शिक्षक को एरियर की इस धनराशि का शीघ्र ही भुगतान करवाने संबंधी आदेश निर्गत करने की कृपा करें| प्रकरण से संबन्धित सभी प्रार्थना पत्र महोदय की सेवा में कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

8- महोदय विकास क्षेत्र की औपबंधिक शिक्षिकाओं / शिक्षक (**श्रीमती अरुणा चमोली स० अ०, रा० प्रा० वि० चोपड़ा** , **श्रीमती रजनी रौतेला स० अ०, रा० प्रा० वि० मरोड़ा एवं श्री कुलदीप पंत स० अ०, रा० प्रा० वि० रेवड़ी)** को अभी तक प्रान नंबर उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनको अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है अतः महोदय से निवेदन है कि संबन्धित सभी शिक्षिकाओं एवं शिक्षक को शीघ्र ही प्रान नंबर उपलब्ध करवाए जाने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि संबन्धित सभी शिक्षिकाओं एवं शिक्षक के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके |

9- महोदय विकास क्षेत्र की औपबंधिक शिक्षिकाओं / शिक्षक (**श्रीमती अरुणा चमोली स० अ०, रा० प्रा० वि० चोपड़ा** , **श्रीमती रजनी रौतेला स० अ०, रा० प्रा० वि० मरोड़ा एवं श्री कुलदीप पंत स० अ०, रा० प्रा० वि० रेवड़ी)** के वेतन से वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इनकम टैक्स कटौती के रूप में प्रति माह 2000 रुपए कि धनराशि काटी गयी जो कि अतार्किक है क्योंकि इनमें से कोई भी शिक्षिका / शिक्षक इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता जिसके कारण संबन्धित शिक्षिका /शिक्षक को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है l अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि संबन्धित शिक्षिकाओं / शिक्षक के वेतन से इनकम टैक्स कटौती को शीघ्र ही बंद करवाने कि महती कृपा करें l उक्त प्रकरण के संबंध में संबंधितों के प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में सादर प्रेषित हैं l

10- महोदय संगठन के संज्ञान में आया है कि विकास क्षेत्र बीरोंखाल तथा थलीसैण से स्थानांतरित होकर आई शिक्षिकाओं / शिक्षकों कि CPD बुक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त नहीं हों पायी हैं l इस संबंध में संगठन ने संबन्धित विकास क्षेत्रों से संपर्क भी किया मगर कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण संबन्धित शिक्षिकाओं / शिक्षकों में दुविधा कि स्थिति बनी हुई है, अतः महोदय से संगठन का विनम्र आग्रह रहेगा कि इस संबंध में यथाशीघ्र,यथाशक्ति प्रयास कर शिक्षक हित में कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें l

11- महोदय **श्री हेमन्त मिश्रा, स० अ०, रा० प्रा० वि० चकवाली** की सेवानिवृति तिथि माह दिसम्बर 2020 है , मगर अभी तक श्री हेमन्त मिश्रा जी की CPD बुक पूर्व विकास क्षेत्र थलीसैण से उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय खिर्सू को प्राप्त नहीं हो पाई है जिसके कारण सेवानिवृति संबंधी दस्तावेजों के संकलन में दिक्कत आ रही है अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री हेमन्त मिश्रा जी की CPD बुक को ब्लॉक थलीसैण से मँगवाने हेतु बिभागीय स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें या उनकी नयी CPD बुक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय खिर्सू से ही बनवाने हेतु आदेशित करने की महती कृपा करें l

12- महोदय विकास क्षेत्र खिर्सू में 1 जनवरी 2006 के बाद चयन वेतनमान / पदोन्नत वेतनमान प्राप्त होने पर न्यूनतम वेतन 17140 का भुगतान करने संबंधी शासनादेशों के विपरीत लाभ अनुमन्य किए जाने पर विकास क्षेत्र की अनेक शिक्षिकाओं व शिक्षको पर इस वेतन विसंगति के कारण 19 फरवरी 2018 के शासनादेश के अनुसार रिकोवरी के आदेश जारी किए गए थे | महोदय संगठन अपने

शिक्षकों के हितों के संदर्भ में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यह जानने की इच्छा रखता है कि क्या इन सभी शिक्षिकाओं और शिक्षकों का शासनादेशों के अनुसार तय तिथि से पुनः वेतन निर्धारण किया गया है या नहीं, और यह निर्धारित तिथि कौन सी है |

13- महोदय उक्त रिकवरी प्रकरण के कारण संबन्धित शिक्षिकाओं व शिक्षकों की सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है अतः इसका भुगतान सुनिश्चित करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें |

14- महोदय 19 फरवरी 2018 के रिकवरी शासनादेश के अनुसार विकास क्षेत्र की शिक्षिकाओं और शिक्षकों को उक्त रिकवरी प्रकरण के कारण एक वेतन वृद्धि पीछे कर दिया गया था किन्तु संशोधित आदेश के बाद नवम्बर 2019 में वेतन को पुनः संशोधित कर पूर्ववत कर दिया गाय था, अतः संबन्धित शिक्षिकाओं व शिक्षकों का इस अवधि के एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है अतः इसका भुगतान सुनिश्चित करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें |

15- महोदय राज्य में वर्ष 2006 से छटवां वेतनमान लागू हुआ था | 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2009 तक यह नोशनली लागू रहा | 1 अप्रैल 2009 से इसे वास्तविक रूप से लोगू कर दिया गया | इसके तहत उच्चीकृत वेतनमान पाने वाले वर्ष 2005 से पूर्व भर्ती शिक्षकों को उसी वर्ष एक इंक्रीमेंट मिल गया | 10 साल के बाद विभाग ने इसे गलत ठहराकर कहा कि इंक्रीमेंट 6 माह के बजाए 1 साल पर दिया जाए जिसके कारण इन शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि पीछे कर रिकवरी हेतु आदेशित किया गया था | परंतु वित्त समिति के द्वारा उच्चीकृत वेतनमान पर मिलने वाले इंक्रीमेंट को सही करार देते हुए संबन्धित शिक्षकों का वेतन निर्धारण पूर्ववत किया गया | संबन्धित शिक्षिकाओं व शिक्षकों का इस अवधि के एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है अतः इसका भुगतान सुनिश्चित करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें |

16- महोदया **श्रीमती सरिता जोशी स० अ०, रा० प्रा० वि० सौड़ गजेली** की नियुक्ति शिक्षा विभाग में 18 अप्रैल 1995 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमोल्डी विकास क्षेत्र खिर्सू (वर्तमान में रुद्रप्रयाग जिले में) में हुई थी | संगठन को प्राप्त उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार 10 वर्ष की सेवा के पश्चात

उनको चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया जबकि उनके साथ नियुक्त अन्य शिक्षिकाओं को समान स्थितियों में इसका लाभ दिया गया, साथ ही छटवें वेतनमान के पश्चात उनके साथ नियुक्त शिक्षकों को इसी आधार पर 1/1/2009 के बाद वेतनमान में 17140 का लाभ भी दिया गया और उनको इस वेतनमान से वंचित रखा गया | महोदय उक्त प्रकरण को संगठन इस आशय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है कि इस परस्थिति को जांच उपरांत संबन्धित शिक्षिका के वेतन को नियमानुसार पुनः निर्धारित कराने कि महती कृपा करें | उक्त प्रकरण के संबंध में संबन्धित शिक्षिका शिक्षिका का प्रार्थना पत्र महोदय कि सेवा में सादर प्रेषित है |

17- महोदय राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोठगी को अभी तक मध्याहन भोजन योजना हेतु गैस कनैक्शन प्राप्त नहीं हो पाया है जिस कारण संबन्धित विद्यालय को भोजन पकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है | महोदय वर्तमान समय में उक्त विद्यालय में 13 छात्र - छात्राएँ नामांकित हैं | महोदय वर्तमान समय में कम छात्र संख्या के कारण हमारे विकास क्षेत्र के दो विद्यालय बंद हो चुके हैं उनमें से किसी एक विद्यालय के गैस कनैक्शन को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोठगी को दिलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कि कृपा करें | उक्त प्रकरण के संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का प्रार्थना पत्र महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है |

18- महोदय **श्रीमती कंचनलता गैरोला स० अ०, रा० प्रा० वि० डांग** की अंशदायी पेंशन योजना में वर्ष 2019-2020 से सरकारी अंश नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण संबन्धित शिक्षिका को आर्थिक रूप से अत्यधिक हानि उठानी पड़ रही है| अतः महोदय से अनुरोध है कि इस संबंध में कार्यालय स्तर से संबन्धित विभाग को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने कि कृपा करें ताकि संबन्धित शिक्षिका को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके | उक्त प्रकरण के संबंध में संबन्धित अध्यापिका का प्रार्थना पत्र अन्य दस्तावेजों सहित महोदय कि सेवा में सादर प्रेषित है |

महोदय, उपरोक्त अधिकांश प्रकरण लंबे समय से आपके कार्यालय में विचाराधीन हैं जिन पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है | अतः उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ विकास क्षेत्र खिर्सू महोदय से अपेक्षा करता है कि उपरोक्त प्रकरणों का आपके स्तर से यथाशीघ्र निस्तारण किया जायेगा | महोदय से संगठन की ये भी अपेक्षा रहेगी कि उपरोक्त प्रकरणों पर लिखित कार्यात्मक

आश्वासन सभी शिक्षिकाओं व शिक्षकों में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय व संगठन के प्रति विश्वास की भावना को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा |

समादर की भावनाओं सहित

श्री विनोद ध्यानी (मंत्री)	श्रीमती रेखा नेगी (अध्यक्ष)
श्री आनंद पँवार (कोषाध्यक्ष)	श्री धीरेन्द्र घिल्डियाल (संरक्षक)